# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान ताराचन्द बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 166/2024
निर्णय दिनांक 18/08/2025

ताराचन्द पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी भलाऊ ताल तहसील तारानगर जिला चूरू।

वादी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट**

**–::निर्णय::–**

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा भलाऊ ताल पटवार हल्का भलाऊ ताल तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 65 के खसरा सं. 888/194 तादादी 1.4162, हैक्ट, खसरा नं. 896/126 तादादी 1.8968 हैक्ट. में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त खसराजात की कृषि भूमि में इंतकाल के समय राजस्व कर्मचारियों की भूलवश व कम्प्यूटर टाईप की गलती से वर्तमान राजस्व जमाबंदी में वादी ताराचन्द के पिता का नाम रतुराम दर्ज हो गया, जो गलत दर्ज हुआ है। जबकि वादी के पिता का सही नाम रतीराम है। वादी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यों में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। वादी व वादी के पिता के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेज में वादी के पिता का नाम रतीराम अंकित है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद–पत्र पेश कर रही है कि कृषि भूमि रोही मौजा भलाऊ ताल पटवार हल्का भलाऊ ताल तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 65 के खसरा सं. 888/194 तादादी 1.4162, हैक्ट, खसरा नं. 896/126 तादादी 1.8968 हैक्ट. में वादी के पिता का नाम रतीराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादी का नाम ताराचन्द पुत्र रतुराम व ताराचंद पुत्र रतीराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादीनी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड वादी के पिता का सही नाम रतीराम पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में वादी के पिता का नाम रतीराम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम रतुराम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही भलाऊ ताल पटवार हल्का भलाऊ ताल तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 65 के खसरा सं. 888/194 तादादी 1.4162, हैक्ट, खसरा नं. 896/126 तादादी 1.8968 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम ताराचन्द पुत्र रतुराम **Delete** कर इसके स्थान पर ताराचंद पुत्र रतीराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/08/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)